समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आव''यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : परीक्षा / विधि संकाय / 2022 / 1406

दिनांक : 19 JUL 2022.

प्रति
प्राचार्य / निदेशक
समस्त सम्बद्ध विधि महाविद्यालय,
इन्दौर

विषय :– बी.सी.आई / विश्वविद्यालय की सत्र 2021–22 की अनुमति / मान्यता प्रस्तुत करने बाबद।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लेख्य है कि स्थायी समिति को बैठक दिनांक 07.07.2022 में लिए गए निर्णयनुसार ऐसे समस्त विधि महाविद्यालय जिन्हे बी.सी.आई. विश्वविद्यालय की अनुमति / मान्यता सत्र 2021–22 हेतु प्रदान नही की गई और / अथवा ऐसे विधि महाविद्यालय जिन्होंने विधि पाठ्यक्रम (यथा, एल.एल.बी. / बी.ए.एल.एल.बी. / बी.बी.ए.एल.एल.बी. / बी.कॉम.एल.एल.बी.) हेतु ऑनर्स के स्थान पर 'प्लेन' कोर्स की मान्यता है। ऐसे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आगामी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति इस शर्त के साथ करने की अनुशंसा की गई है कि वे महाविद्यालय परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व बी.सी.आई / विश्वविद्यालय की अनुमति (ऑनर्स पाठ्यक्रम की) विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेंगे अन्यथा ऐसे महाविद्यालयो के विद्यार्थियो का परीक्षा परिणाम घोषित नही किया जावेगा।

2/ अतएव समस्त संबंधित विधि महाविद्यालय उपरोक्त आशय का शपथ पत्र तत्काल विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उनके महाविद्यालय के विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

परीक्षा नियंत्रक

D/Shiva Rana/L/L 2015/080722

महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100/– के स्टाम्प पर)

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.07.2022 में लिए गए निर्णय/अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में (महाविद्यालय का नाम)...........विधि महाविद्यालय (शहर/जिले का नाम)................ के द्वारा यह शपथ–पत्र निष्पादित किया जाता है कि महाविद्यालय के द्वारा सत्र 2021–22 हेतु एल.एल.बी./बी.ए.एल.एल.बी./बी.बी.ए.एल.एल.बी./बी.कॉम.एल.एल.बी. (सभी ऑनर्स पाठ्यक्रम) की प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) की परीक्षा 2022 में महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सम्मिलित किए जाने पर उपरोक्त उल्लेखित परीक्षा का, परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व महाविद्यालय के द्वारा बी.सी.आई. एवं विश्वविद्यालय की अनुमति/सम्बद्धता (ऑनर्स पाठ्यक्रम की) विश्ववविद्यालय में प्रस्तुत कर दी जावेगी। अनुमति/सम्बद्धता यथासमय प्रस्तुत नही करने पर विश्वविद्यालय को परीक्षा (परिणाम सहित) निरस्त की जा सकेगी।

इस संबंध में विश्वविद्यालय के द्वारा लिया गया निर्णय महाविद्यालय/छात्रो पर अंतिम रूप से मान्य एवं बंधन कारक होगा।

प्राचार्य/निदेशक
..................महाविद्यालय.........................